

आयुक्त राज्य कर
छत्तीसगढ़, रायपुर

आदेश क्रमांक 06/2017-जीएसटी

रायपुर, दिनांक : 28 अक्टूबर, 2017

विषय : प्ररूप जीएसटी आरईजी-26 में आवेदन प्रस्तुत करने की समय-सीमा में वृद्धि।

क्रमांक सीजीएसटी/01/2017 (11) - छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 7 सन् 2017) की धारा 168 के साथ पठित छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 24 के उप-नियम (2) के खण्ड (ब) का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर एतद्वारा, प्ररूप जीएसटी आरईजी-26 में आवेदन इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा करने की अवधि 31 दिसंबर, 2017 तक बढ़ायी जाती है।


(संगीता पी.)

राज्य कर आयुक्त
छत्तीसगढ़, रायपुर

**Commissioner of State Tax
Chhattisgarh, Raipur**

Order No. 06/2017-GST

Raipur, 28th October, 2017

Subject: Extension of time limit for submitting application in FORM GST REG-26

No./CGST/01/2017 (**11**) - In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-rule (2) of rule 24 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017 read with section 168 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 7 of 2017), on the recommendations of the Council, the period for submitting electronically the application in the **FORM GST REG-26** is here by extended till 31st December 2017.



(Sangeetha P.)
Commissioner, State Tax
Chhattisgarh, Raipur